राजस्व वाद 31/2019(2019/00305)

रामराज पुत्र हीरालाल जाति बलाई निवासी सदारी तहसील सावर जिला अजमेर।

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. रतनी पत्नि प्रताप चौपडा गुर्जर
2. [illegible]जी पुत्र प्रताप चौपडा गुर्जर
3. रामदेव पुत्र प्रताप चौपडा गुर्जर
4. लाभचंद पुत्र रामधन शर्मा
5. भंवरलाल पुत्र नाथू माली
6. नाथू पुत्र बालू माली
7. कालू पुत्र बन्ना चौपडा गुर्जर
8. गोविन्द पुत्र लाला शर्मा
9. राधेश्याम पुत्र उंकार वैष्णव

   समस्त निवासीगण ग्राम सदारी ग्रा.प. सदारा तहसील सावर जिलाअजमेर

10. तहसीलदार सावर जिला अजमेर

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 7.12..2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प सदारी तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/अप्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत [illegible]या है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम सदारी** की जमाबन्दी संवत **2071–74** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
351–329	263/1442	0.24	चा.3जा.3
	267/1446	0.04	चा.1
	413	0.21	बा.3
	414	0.40	बा.3
	416	0.05	बा.3
	417	0.03	बा.3
	कुल किता 6	कुंल रकबा 0.97 है.	

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व, उपयोग उपभोग में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की [illegible] अस्पष्ट हो गई है। पूर्व में भी मेरी उक्त आराजीयात का दिनंक 9.5.18 को तहसीलदार के आदेश [illegible] 691 दिनांक 9.5.10 की पालना में दिनांक 29.5.2019 को सीमाज्ञान किया गया [illegible] दिन आराजी की सीमा को लेकर झगडा करते रहते है। दिनांक 26.8.2018 को भी [illegible] उक्त आराजी पर [illegible] झगडा करने लगें। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी [illegible] प्रार्थी द्वारा करवायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। पेरोकार सरकार द्वारा को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार को सुना गया । प्रार्थी को भी सुना । अप्रार्थीगण को केम्प के नोटिस तामिली बावजूद अनुपस्थित होनेसे उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम **ग्राम सदारी** की जमाबन्दी संवत **2071–74** के खाता संख्या नया पुराना 351–329 कुल किता 6 कुल रकबा 0.97 है. की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 7.12.2021 को केम्प सदारी मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner